[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–35 एच०एल०ए०

हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 1971 के हरियाणा अधिनियम 20 की धारा 80 का संशोधन।

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से, जहां बोर्ड विघटित कर दिया गया है, सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, राज्य सरकार में निहित होंगे और राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि ऐसी सभी संपत्तियां, निधियां, आस्तियां, दायित्व, बाध्यताएं और कर्मचारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या अभिकरण, जिसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, में अंतरित हो जाएंगे। अंतरिती इकाई को इस प्रकार विनिर्दिष्ट सीमा तक बोर्ड के हित उत्तराधिकारी के रूप में समझा जाएगा और विघटन की तिथि को विद्यमान सभी विधिक कार्यवाहियां, संविदाएं तथा दायित्व, अंतरिती द्वारा अथवा के विरूद्ध तदनुसार प्रवर्तनीय होंगे।

व्याख्या.– इस उपधारा के प्रयोजनो हेतु,–

(i) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय है, प्रशासन के प्रयोजन हेतु किसी राज्य विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण;

(ii) "अभिकरण" से अभिप्राय है, कोई सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, निगमित निकाय, सोसाइटी, या अन्य इकाई या संगठन (चाहे संवैधानिक हो या नहीं), जिसे राज्य सरकार, आवासन, शहरी विकास या संबंधित कृत्यों का उत्तरदायित्व लेने या प्रबन्धन करने के प्रयोजन हेतु समय–समय पर अधिसूचित करे।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 के तहत स्थापित, हरियाणा आवास बोर्ड, राज्य में आवास और संबंधित शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में लगा हुआ है। समय के साथ, इसके संचालन संबंधी कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के कार्यों के साथ अधिकाधिक रूप से ओवरलैप होते गए हैं, जो आवास और नियोजित शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करता है।

प्रशासनिक प्रयासों के दोहराव को समाप्त करने, शहरी नियोजन एकीकरण में सुधार लाने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग करने और एच.एस.वी.पी. में इसके विलय की घोषणा की। हालाँकि, 1971 के अधिनियम की धारा 80 में विधायी प्रस्ताव और सरकारी अधिसूचना के माध्यम से बोर्ड को भंग करने की अनुमति है, लेकिन राज्य सरकार को भंग बोर्ड की संपत्ति, देनदारियों, कर्मचारियों और दायित्वों को एच.एस.वी.पी. या किसी अन्य उत्तराधिकारी निकाय को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

इस कानूनी अंतर को दूर करने तथा बोर्ड के सभी कार्यों, दायित्वों, कर्मचारियों, कानूनी दायित्वों और अनुबंधों के निर्बाध संक्रमण और उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन होगा :

- राज्य सरकार को विघटित बोर्ड की परिसंपत्तियों और कार्यों को एच.एस.वी. पी. या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या एजेंसी के साथ विलय करने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनाना;
- चल रहे मुकदमेबाजी और अनुबंधों की कानूनी उत्तराधिकार और प्रवर्तनीयता को स्पष्ट करना;
- प्रस्तावित संस्थागत पुनर्गठन को पूरा करने के लिए आवश्यक वैधानिक कवर प्रदान करना।

विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नायब सिंह,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 से राज्य की संचित निधि पर किसी भी प्रकार का आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय सम्मिलित नहीं है।

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 से उद्धरण

80. बोर्ड का विघटन–

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई तिथि से बोर्ड का विघटन कर दिया जाएगा :

परंतु ऐसी कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि इस आशय का एक प्रस्ताव हरियाणा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत कर पारित न कर दिया गया हो।

(2) उप–धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से–

(क) बोर्ड में निहित तथा उसके द्वारा वसूल की जा सकने वाली सभी संपत्तियाँ, निधियाँ और बकाया राशि राज्य सरकार में निहित होंगी तथा राज्य सरकार द्वारा वसूल की जा सकेंगी;

(ख) बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी दायित्व, राज्य सरकार में निहित एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की गई संपत्तियों, निधियों तथा बकाया राशि की सीमा तक राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे।

(3) इस धारा में निहित कोई भी बात, धारा 60 की उप–धारा (5) के अंतर्गत प्रत्याभूत किए गए ऋणों अथवा डिबेंचरों के संबंध में राज्य सरकार की देयता को प्रभावित नहीं करेगी।

12292—H.V.S.—H.G.P., Pkl.